झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 16 फाल्गुन 1941 (श0) / 06 मार्च, 2020 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	अ0सू0–1	श्री सुदिव्य कुमार,	सूचीबद्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	18.02.2020
51	अ0सू0–7	श्री विरंची नारायण,	कल्याणकारी योजना लागू करेना।	विधि विभाग	24.02.2020
52	अ0सू0–4	श्री समीर कुमार महांती,	चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	20.02.2020
53	अ0सू0–10	श्री मनीष जायसवाल,	नियुक्ति पर विचार करना।	विधि विभाग	24.02.2020
54	अ0सू0–3	श्री विनोद कुमार सिंह	मुआवजा व घर दिलाना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	20.02.2020
55	अ0सू0–8	श्री प्रदीप यादव,	जमीन वापस कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	24.02.2020
56	अ0सू0–5	श्री भानु प्रताप शाही,	सिविल कोर्ट की स्थापना।	विधि विभाग	20.02.2020
57	अ0सू0–14	श्री प्रदीप यादव,	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	28.02.2020
58	अ0सू0–6	श्री बंधु तिर्की,	नियुक्ति में स्थानीय को प्राथमिकता।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	20.02.2020
59	अ0सू0–2	श्री विनोद कुमार सिंह,	स्पष्ट नीति बनाना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	20.02.2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.
60	अ0सू0–9	डॉ0 इरफान अंसारी,	श्रमिकों के केस का निष्पादन।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	24.02.2020
61	अ0सू0–19	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	नियमितीकरण करना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	01.03.2020

राँची।
दिनांक–06 मार्च,2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–06/2020–661/वि0स0,रांची,दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

02/03/2020

(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्य–प्रश्न–06/2020–661/वि0स0,रांची,दिनांक–02/03/2020

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02/03/2020

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–06/2020–661/वि0स0,रांची,दिनांक–02/03/2020

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

02/03/2020

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

02-03-2020

(50)

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि सरकारी कर्मियों के असाध्य रोगों के ईलाज हेतु सरकारी प्रावधानानुसार जिन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, वह पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहा है,	अस्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में कम से कम 50 अन्य और बड़े अस्पतालों को असाध्य रोगों के ईलाज हेतु सूचीबद्ध करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकारी कर्मियों के असाध्य रोगों के ईलाज हेतु 28 अस्पताल सूचीबद्ध है। सरकारी कर्मियों के द्वारा यदि इन सूचीबद्ध अस्पतालों के अतिरिक्त अन्यत्र ईलाज कराया जाता है, तो उनके चिकित्सा विपत्रों की प्रतिपूर्ति एम्स, नई दिल्ली के दर पर की जाती है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-13/वि0स0)-07-02/2020 - 54(13)   स्वा0/राँची/दिनांक:- 28/02/2020

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 30/वि0स0 दिनांक 18.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव 28/2/20

Nand Kumar/Health

(57)

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के करीब 40,000 वकीलों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है।	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखंड के करीब 37 बार एसोशिएशन के अंतर्गत वकीलों के लिए अब तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है एवं उनके बैठने का भी उचित व्यवस्था नहीं है, न ही किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा और बीमा इत्यादि का लाभ अधिवक्ताओं को प्रदान किया गया है	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। अधिवक्ताओं के कल्याणकारी सुविधा हेतु सरकार द्वार झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 तथा झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि नियमावली, 2018 गठित है, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा और बीमा इत्यादि का लाभ अधिवक्ताओं को प्रदान करेन का प्रावधान है एवं तद्नुसार विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–2127/जे0 दिनांक–24.07.2018 द्वारा झारखंड अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति का गठन भी किया जा चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ दिल्ली सरकार की तर्ज पर राशि का आवंटन करते हुए अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–01 एंव कंडिका–02 के उत्तर प्रतिवेदन से स्थिति स्वतः स्पष्ट है। जहाँ तक झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष में राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित करने का प्रश्न है, इस संबंध में वर्त्तमान में विधि विभाग के स्तर से कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–विसप्र–02/2020– 327 /जे0 राँची, दिनांक–24 मार्च, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–83–वि0स0 दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

24.3.2020

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

(52)

श्री समीर कुमार महांती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०– 04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा की आधार भूत सुविधा नहीं रहने के कारण क्षेत्र की जनता पड़ोसी राज्यों के स्वास्थ्य केन्द्रों में ईलाज कराने को मजबूर है ;	अस्वीकारात्मक। बहरागोड़ा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक ट्रॉमा सेन्टर तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 38 स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित है, जहाँ चिकित्सा पदाधिकारियों, ए०एन०एम० एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों की मदद से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
2-	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा की तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। बहरागोड़ा क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में वाह्य कक्ष, अन्तः कक्ष, प्रसव इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहरागोड़ा विधान–सभा में स्थित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मुलभूत सुविधा के साथ–साथ तकनीकी सुविधा एवं अनुभवी चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-06/2020 – 73 (15) राँची, दिनांक–3-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 82 दिनांक– 20-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–07 मार्च, 2019 को राज्य में लागू The Jharkhand Law Officers (Engagement) Rules, 2018 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार से संबंधित वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु विधि पदाधिकारियों यथा–अपर महाधिवक्ता/स्थाई एवं वरीय स्थाई सलाहकारों/राजकीय अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित Rules, 2018 अन्तर्गत राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायलयों में भी अधिवक्ता वर्ग से लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के साथ–साथ S.C. And S.T. Act से सम्बंधित वादों के संचालन हेतु विशेष लोक–अभियोजक पद पर नियुक्ति का प्रावधान होने के बावजूद सम्बंधित पद पर अबतक नियुक्ति की प्रक्रिया लम्बित है।	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायलयों में S.C. and S.T. Act से सम्बंधित वादों के संचालन हेतु अधिवक्ता वर्ग से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति The Jharkhand Law Officers (Engagement) Rules, 2018 के तहत किया जाना है। Rules की कंडिका–5(5)(i) के तहत गठित सभी जिलों के Search Committee के अनुशंसा के पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। इस निमित्त विधि विभागीय पत्रांक–1435/जे0 दिनांक–29.07.2019 के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक को Search Committee की अनुशंसा भेजने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में कुछ जिलों से Search Committee की अनुशंसा भी प्राप्त हुई है, जिसे विधि विभागीय पत्रांक–2060/जे0 दिनांक–31.10.2019 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार को अग्रसारित किया गया है। अतः नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिवक्ताओं के हित में खण्ड–01 में Rules, 2018 अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से खण्ड–02 में वर्णित पदों पर अधिवक्ता वर्ग से नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–02 के उत्तर प्रतिवेदन से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

(कृ0पृ0उ0)

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0 / विधि–विसप्र–03 / 2020–334/ जे0 रॉंची, दिनांक–05 मार्च, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–337–वि0स0 दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रॉंची ।

(54)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–03 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों व विदेश में कार्यरत झारखण्ड के प्रवासी मजदूरों को कार्य में भुगतान, दुर्घटना में मौत व विदेश से देश वापसी में काफी परेशानी का सामना करना होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रवासी मजदूरों की परेशानी को तत्काल हल करने, हादसा में मौत में मुआवजा व घर वापसी हेतु आर्थिक व कानूनी मदद हेतु एक अलग निदेशालय का गठन करने का विचार रखती है; हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रवासी मजदूरों के भुगतान से संबंधित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में उस राज्य के श्रम विभाग से सम्पर्क कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाता है। देश के दूसरे राज्यों में दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में निबंधित प्रवासी श्रमिक के वैध आश्रित को रुपये 1.5 लाख तथा अनिबंधित प्रवासी श्रमिक को 1.0 लाख रुपये का भुगतान किया जाना प्रावधानित है। साथ ही घर वापस लाने हेतु सम्पूर्ण व्यय के वहन का भी प्रावधान है। यदि विदेश में दुर्घटनावश श्रमिक की मृत्यु होती है तो अहर्ता प्राप्त वैध आश्रित को रुपये 5.0 लाख का प्रावधान किया गया है एवं देश वापसी हेतु संबंधित देशों के बीच स्थापित संबंध, नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई किया जाना है। अतः इस हेतु अलग निदेशालय के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ह0/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांकः–01/श्रम0का0/वि0स0अ0सू0प्र0(प्र0म0)/01/2020. 334 राँची, दिनांक–04/03/2020
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–81, दिनांक–20.02.2020 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sani\Rahul\Vidhan Sabha\03-08-2020.docx

(55)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–08 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के धारा–101 में यह स्पष्ट है कि रैयती जमीन को अधिग्रहण जिस उद्देश्य से की जाती है, यदि 5 वर्ष तक जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किये जाने पर रैयतों को वापस कर दिया जाने का प्रावधान है;	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के धारा–101 में उल्लेख है कि जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियो या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा। उक्त के आलोक में झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 की नियम–37(1) में प्रावधान है कि जहाँ अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा तक अनुपयोजित रह जाती है वहाँ अधियाची निकाय को जिसके लिए भूमि अधिगृहित की गई थी, नोटिस निर्गत करके और सुनवाई का अवसर प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके उस भूमि को राज्य सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दी जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवीपुर अंचल में जियाडा द्वारा अधिग्रहित जमीन और गोड्डा जिला के निपनीयाँ मौजा में जिंदल द्वारा अधिग्रहित जमीन इसी प्रकार के मामले है और रैयत जमीन वापसी की लगातार माँग कर रहे है;	भू–अर्जन अधिनियम–1894 के अंतर्गत झारखण्ड स्वैच्छिक भू–अर्जन नियमावली 2010 के तहत जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड के द्वारा सुन्दरपहाड़ी प्रखंड एक मौजा में 2.21 एकड़ एवं गोड्डा प्रखंड के ग्यारह मौजा–832.63 एकड़ का अधियाचना की गई थी, जिसमें से गोड्डा प्रखंड का दो मौजा निपनियाँ मौजा में 76.6742 एकड़ एवं वारिसटांड मौजा में 139.481 एकड़ कुल–216.1552 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर दिनांक–15.04.2015 को दखल देहानी अधियाची विभाग को दी गई है। जिन्दल कम्पनी द्वारा उक्त भूमि में आंशिक चाहर दिवारी एवं भूमि समतलीकरण किया गया है

			परन्तु पावर प्लान्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा भूमि अधियाची विभाग (जिन्दल कम्पनी) के दखल कब्जे में है। भूमि वापसी हेतु नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। देवघर जिला के देवीपुर अंचल अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, देवीपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत 398.06 एकड़ अधिग्रहण की गई है। जियाडा द्वारा हस्तांतरित एवं आवंटित भूमि:– 1. AIIMS को हस्तांतरित भूमि :– 169.10 एकड़ 2. Plastic Park को हस्तांतरित भूमि :– 93.09 एकड़ 3. उद्यमियों को आवंटित भूमि :– 49.87 एकड़ 4. आधारभूत संरचना में :– 30.00 एकड़ कुल आंवटित भूमि :–342.06 एकड़ शेष भूमि आवंटन की प्रक्रिया में है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस प्रकार के मामले राज्य के अन्य जिलों में भी है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमीन वापसी की दिशा में समुचित निर्णय लेना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8ए/भू.अ.नि.–वि.स. (अ.सू.)–26/2020 124 (8) रा., राँची, दिनांक– 25.03.2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–280/वि.स., दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(56)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगरउँटारी अनुमंडल की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी, स्थापना के 29 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुमंडल स्तरीय सिविल कोर्ट की स्थापना नहीं की जा सकी है।	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वास्तव में नगरउँटारी अनुमण्डल की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी।
2.	क्या यह बात सही है कि सिविल कोर्ट की स्थापना नहीं होने की वजह से अनुमंडल स्तर के सभी विवादित मामले के लिए जिला मुख्यालय गढ़वा जाना पड़ता है, ज्ञात हो कि नगरउँटारी स्थित महदेईया में कारा भवन बनकर तैयार है।	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगरउँटारी में सिविल कोर्ट की स्थाना कराने का विचार सरकार रखती है॰ हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उँटारी अनुमंडल के गठन के उपरांत वहाँ अनुमण्डलीय न्यायालय की स्थापना का मामला लम्बे समय से विचाराधीन है। उक्त से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु कई बार उच्चस्तरीय बैठक में त्वरित कार्रवाई संबंधी निर्णय भी लिया जा चुका है। गत बार दिनांक–20.02.2019 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार नगर उँटारी अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायालय भवन, उपकारा भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण/हस्तगत करने की कार्रवाई इत्यादि इत्यादि कार्य जून, 2019 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था तथा जुलाई, 2019 तक उक्त न्यायालय प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गढ़वा पत्रांक–708 दिनांक–26.02.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि नगरउँटारी अनुमंडलीय न्यायालय के कोर्ट भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। कोर्ट भवन में कुछ कार्य किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है, जिसकी कि 15 दिनों में पूर्ण होने की संभावना है। कारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। परंतु अभी लकड़ी एवं बिजली का कार्य अभी जारी है, जिसके 2 से 3 माह में पूर्ण होने की संभावना है। हस्तगत होते ही न्यायालय गठन के अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

(क०प्र०उ०)

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0 / विधि–विसप्र–01 / 2020–285 / जे0 रॉंची, दिनांक–27 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–83–वि0स0 दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

27.2.2020

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रॉंची ।

(7)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू0–14 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष–2015 से झारखण्ड में म्यूटेशन का काम ऑनलाईन शुरू किया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इसके बावजूद भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 35035 मामले अबतक लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–03.03.2020 को दाखिल–खारिज के कुल–37167 मामले लंबित है। इसमें से 30 दिनों के अंदर कुल 34376 मामले है। दाखिल–खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु आपत्ति रहित मामलों के लिए 30 दिन एंव आपत्ति सहित मामलों के लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित है। 30 दिनों से अधिक के कुल 2671 एवं 90 दिनों से अधिक कुल–120 मामले लंबित हैं। कई मामलों का ससमय निष्पादन सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमी होने के कारण भी नहीं हो पा रहा है। तकनीकी कमियों को दूर करने हेतु NIC को निदेशित किया गया है। NIC द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं विभाग के स्तर पर इसकी निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। उपायुक्तों द्वारा भी अपने स्तर से इसका सतत् अनुश्रवण किया जा रहा हैं। जिन अंचलों में 100 से अधिक दाखिल–खारिज के मामले लंबित थे उनके अंचल अधिकारियों एवं उपायुक्तों यथा हजारीबाग सदर, बिरनी, धनबाद सदर, बरहरवा, रातू, गुमला सदर, खरौन्धी, गिरिडीह सदर, गोविन्दपुर, नगड़ी, पाकुड़ सदर, काँके, नामकुम एवं रंका तथा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, साहेबगंज, राँची, गुमला, पाकुड़ एवं गढ़वा विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–10.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी। सॉफ्टवेयर में सुधार होने पर दाखिल–खारिज के निष्पादन में गति आने की पूरी संभावना है।

3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लंबित मामले का निष्पादन एवं लापरवाही कर्मचारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0(तारां0)–62/2020 894 /रा0, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–438 वि0स0, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(58)

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची में डेंटल हाईजिनिस्ट (Dental Hygienist) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या- RIMS/Advt No-955 (a) 08.03.2019 के द्वारा जो नियुक्ति की गयी उसमें झारखण्ड के मूल निवासियों की उपेक्षा करके राज्य के बाहर के लागों को चुन लिया गया;	स्वीकारात्मक। डेंटल हाईजिनिस्ट (Dental Hygienist) के पद पर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (Dental Council of India) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आलोक में नियुक्ति की गई है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्लास 3 और क्लास 4 की नियुक्तियों में स्थानीय को प्राथमिकता देने का विचार सरकार रखती है ; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिम्स में डेंटल हाईजिनिस्ट (Dental Hygienist) के पाँच पद स्वीकृत हैं। दंत चिकित्सा परिषद (Dental Council of India) संबंधी परिपत्र के अनुसार डेंटल हाईजिनिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु वे अभ्यार्थी ही योग्य होंगे, जिन्होंने दंत चिकित्सा परिषद के अधिनियम एवं नियमावली के तहत संचालित संस्थानों से डेंटल हाईजिनिस्ट का पाठ्यक्रम किया हो। झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद् के द्वारा भी ऐसे कोर्स चलाये जा रहे है,परन्तु वो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त नही है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता बरकरार रखने के उद्देश्य से डेंटल हाईजिनिस्ट के पद पर उन्हीं आवेदकों का चयन किया गया है, जो दंत चिकित्सा परिषद की अर्हता पूरी करते हैं।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-11/रिम्स (चि0 स0)-05-01/2020- 81 (11) स्वा0/राँची/दिनांक:- 02/03/2020
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 84/वि0स0 दिनांक 20.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

59

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में सड़क दुर्घटना में घायल नागरिकों के तत्काल उपचार हेतु स्पष्ट नीति नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। सड़क दुर्घटना में घायल नागरिकों के उपचार हेतु झारखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा परिषद गठित है। घायल मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेन्स (108) सेवा उपलब्ध है।
2-	क्या यह बात सही है कि आर्थिक अभाव व बेहतर उपचार की गारंटी के अभाव में घायल लोग रास्ते में दम तोड़ देते है ;	अस्वीकारात्मक। सभी घायल मरीजों को सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/ अस्पतालों में निःशुल्क ईलाज उपलब्ध है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटना में घायल नागरिकों के तत्काल निःशुल्क उपचार हेतु एक स्पष्ट नीति बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07-07/2020 – 69 (15) राँची, दिनांक–3-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 80 दिनांक– 20-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(160)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछे जाने वाले विधान सभा अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 हेतु उत्तर सामग्री –

क्र०	प्रश्नकर्त्ता डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्रम न्यायलय में पूरे राज्यभर के श्रमिकों के मुकदमें बड़ी संख्या में वर्षों से लंबित है, जिसका निष्पादन नहीं होने से श्रमिकों की स्थिति भयावह है एवं भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य के श्रम न्यायालयों में कुल 1423 मुकदमें लंबित हैं। श्रम न्यायालयों द्वारा वादों के समय पर निष्पादन करने हेतु यथासंभव प्रयास किये जाते हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि संस्थान एवं कारखाने के मालिकों के मिली भगत से श्रम न्यायालय में केस मुकदमें को विलम्ब कराया जाता है, जिससे मजदूरों को शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। यह बात सही नहीं है कि संस्थान एवं कारखानों के मालिक के मिली भगत से वादों का निष्पादन किया जाता है। न्यायालय द्वारा मुकदमों के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालीय प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक समय सीमा के तहत् श्रमिकों का केस निष्पादन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	श्रम न्यायालयों में लंबित मुकदमों की सुनवाई नियमित रूप से न्यायालीय प्रक्रियानुसार की जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–02/श्रमा०का०(वि०स०)–01/2020 श्र०नि० 335 राँची, दिनांक 04.3.2020
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०/336, दिनांक–24.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों (अनुलग्नक सहित) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sant\Rahul\Vidhan Sabha\03-10-2020.docx

(61)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–[redacted]– 19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के अंतर्गत मलेरिया विभाग में कार्यरत 110 अनुबंधकर्मी MTS (Malaria Technical Supervisior) एवं KTS (Kalazar Technical Supervisior) 10 वर्षों से सेवा दे रहें है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2008 से 66 MTS तथा 2012 से 30 MTS एवं 2012 से 21 KTS, NHM अन्तर्गत अनुबंध पर भेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सेवा दे रहें है।
2-	क्या यह बात सही है कि MTS/KTS की योग्यता तथा कार्य प्रकृति Malaria Inspector के समतुल्य है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। निदेशालय, राष्ट्रीय भेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, दिल्ली से MTS/KTS के कार्य प्रकृति क्रमशः मलेरिया एवं कालाजार उन्मूलन कार्य के निमित निर्धारित की गई है। जबकि मलेरिया निरीक्षकों का कार्य सभी भेक्टर जनित रोगों के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन से संबंधित है।
3-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा Writ no W.P(S)-5037/2016, 5032/2016,5036/2016,5045/2016,5046/2016, 5047/2016,5048/2016,5049/2016,5053/2016, 5058/2016,5059/2016,5060/2016 का न्यायादेश दिनांक–23.10.2018 में पारित आदेश में MTS/KTS की सेवा fixed pay scale में करने तथा regularization/absorption का कार्य नियमानुसार 8 सप्ताह में करने का निदेश दिया गया था ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा Writ no W.P(S)-5037/2016,5032/2016,5036/2016,5045/2016, 5046/2016,5047/2016,5048/2016,5049/2016, 5053/2016,5058/2016,5059/2016,5060/2016 का न्यायादेश दिनांक–23.10.2018 का पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय प्रधान सचिव द्वारा पत्र संख्या–317 (VBD) दिनांक–09.04.2019 से सुविवेचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के सेवा नियमित पद के विरूद्ध नियमितीकरण/सामंजन के दावा को खारिज किया गया है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारित न्यायादेश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई कर पद सृजन करने या सृजित Malaria Inspector के पद पर नियमितीकरण/ समायोजन करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-18/2020 - 82 (15) राँची, दिनांक–4-3-2020
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 574 दिनांक– 01-03-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2020
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari